

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग -दो

सोमवार, दिनांक 23 मई, 2022 (ज्येष्ठ 2, 1944)

माननीय श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य की गिरफ्तारी एवं
रिहा किये जाने की सूचना.

कार्यपालिक दण्डाधिकारी, मुंगेली की ओर से यह सूचना दी गई है कि -

मुझे आपको यह सूचना देनी है कि भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151, 107, 116 (3) के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निर्देश देना अपना कर्तव्य समझा है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य, माननीय श्री पुन्नूलाल मोहले को दिनांक 16.05.2022 को सायं 5:30 बजे गिरफ्तार कर दिनांक 16.05.2022 को ही सायं 6:00 बजे रिहा कर दिया गया।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.